the declining quantities available and high transport charges, the distribution is concentrated in areas nearer to the producing centres.

(c) The Coal Companies are being directed to increase production of the soft coke so as to make available larger quantities to the States. To encourage the use and increase the availability of soft coke the Central Mine Planning and Design Institute, Ranchi (CMPDIL), a subsidiary of Coal India Ltd., have developed a new technology for the manufacture of smokeless solid fuel, plants for which can be established in the Small Scale Sector, also obtaining bye-products which at present are wasted. This technology has received a good response from the Eastern States.

**क्षतिग्रस्त रेगूलेटरों का बदला जाना**

118. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री 27 जुलाई, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 93 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को सभी गैस एजेंसियों को इस बारे में विशेष निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि वे अपने नोटिस बोर्डों पर रेगुलेटरों को बदले जाने के संबंध में जानकारी के सम्पूर्ण ब्यौरे प्रदर्शित करें, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)**: (क) और (ख) जी, नहीं । क्षतिग्रस्त दोषी प्रैशर रेग्यूलेटरों को बिना शुल्क प्रतिस्थापित किया जाता है । जांच करने पर जहां यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा अदला-बदली करने/लापरवाही करने से क्षति पहुंची है/खराबी आई है, केवल उन्हीं दोषयुक्त रेग्यूलेटरों के प्रतिस्थापन के लिए शुल्क (इस समय 75 रुपये) लिया जाता है ।

**घरेलू गैस वितरकों से हाट-प्लेट बर्नर की खरीद**

119. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल कम्पानयों ने घरेलू गैस वितरकों को यह अनुदेश जारी किया है कि वे उपभोक्ताओं को वितरक के यहां से हाट-प्लेट बर्नर इत्यादि खरीदने के लिए बाध्य न करें और उन्हें खुले बाजार से इन चीजों को खरीदने की छूट दें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी गैस वितरकों को निर्देश किया गया है कि वे निर्देशों को अपने नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शित करें जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके; और

(ग) क्या यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां, हो तो इस संबंध में कोई विसंगति सरकार के ध्यान में आयी है ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)** : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जब भी इस संबंध में तेल कम्पनियों को शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी तेजी से जांच की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है जिसमें दोषी वितरकों को चेतावनी देना, एल० पी० जी० रिफिलों की सप्लाई लम्बित करना आदि शामिल हैं ।

**घरेलू गस वितरक मैसर्स जी० एस० एन्टरप्राइज के विरुद्ध शिकायतें**

120. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घरेलू गैस का वितरक, मैसर्स जी० एस० एन्टरप्राइज, शालीमार पार्क, शाहदरा, दिल्ली–110032 उपभोक्ताओं को नया गैस कनेक्शन जारी करते समय ग्राहकों से राशन कार्ड की फोटो स्टेट

कापियां लेने पर पिछले कई वर्षों से विवश करता आ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तेल निगम के किस नियम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से इस प्रकार की फोटो कापियां लेना अपेक्षित है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस वितरक के विरुद्ध की गयी अनेक शिकायतें निचले स्तर पर दबायी जा रही हैं ;

(घ) क्या सरकार इन शिकायतों के बारे में कोई जांच कराने का प्रस्ताव रखती हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)** (क) जी, हां। मैसर्स जी०एस० एन्टरप्राइज अपने उपभोक्ताओं को निवास स्थान को प्रमाणित करने के लिए राशन कार्ड, किराया रसीद, बिजली का बिल अथवा एल आई जी की रसीद के रूप में कागजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है।

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा ऐसा कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया है कि प्रत्याशित उपभोक्ता अपने निवास सम्बन्धी कोई प्रमाण पेश करें। तथापि, अपनी पहचान और निवास स्थान को सत्यापित करने और अनधिकृत गैस कनेक्शन के रिलीज होने से बचने के लिए यह वितरक निवास स्थान के लिए कागजी साक्ष्य की मांग कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

**तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरकों के लिये निर्धारित कोटा**

121. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के प्रत्येक वितरक के लिये 6,500 रिफिल प्रति मास का कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने गैस-वितरक हैं जिन्हें उपर्युक्त कोटे से कम गैस की सप्लाई प्राप्त होती है ;

(ग) क्या सरकार उन गैस-वितरकों को जिन्हें 6,500 रिफिलों का निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता, गैस की सप्लाई में इस कमी को पूरा करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)** : (क) एल० पी० जी० वितरकों के लिए कोई भी कोटा निर्धारित नहीं किया गया है फिर भी तेल कम्पनियों ने एल०पी०जी० वितरकों द्वारा बेचे जाने वाले रिफिलों की अधिकतम सीमा निर्धारित की हैं। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत एल०पी०जी० वितरकों के लिए अधिकतम सीमा 6500 रिफिल प्रतिमाह निर्धारित की गई हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) बाटलिंग क्षमता सहित उत्पाद की उपलब्धता तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं होने पर नए उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत तेल कम्पनियां हैए कनेक्शन जारी करती है। नई वितरण शिपों द्वारा भी कनेक्शन दिए जाते हैं ताकि चरणबद्ध रूप से उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्तर तक लाया जा सके।

**LPG Production at Cochin Refinery**

122. SHRI THOMAS KUTHIRAVATTOM: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the quantity of LPG produced at Cochin Refinery annually;